न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 107/2014 अपील (राजस्व)

श्रीमती डाकूबाई पुत्री हमेराजी पत्नि तुलसीराम जी गुर्जर मृतक के बजाय–
(1/1) श्री कालूराम (माता डाकूबाई) पिता तुलसीराम जी गुर्जर निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
(1/2) मु. नारू बाई (माता डाकूबाई) पिता तुलसीराम जी गुर्जर निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कन्नीराम पिता तुलसीराम जी गुर्जर निवासी विरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी मथुरालाल गुर्जर निवासी गेहु का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्रीमती हीरूबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी श्री किशन गुर्जर, निवासी वाजुन्दा (शिशवी) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
4. तहसीलदार साहब, तहसील मावली, जिला उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 27.10.1977
तहसीलदार मावली

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अजय सिंह हाडा अधिवक्ता विपक्षी सं.1

निर्णय

दिनांकः– 03.02.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वीरधोलिया की आराजी नं. 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589, 1660 व 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा पेतृक भूमि होकर सम्वत 2030 भू प्रबध

सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान राज्य की जमाबंदी में हमारे मौरूस लाला पिता भज्जा के नाम पर अंकित है। उन्होने अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवाडा अपने दोनो पुत्रों तुलसीराम व मुझ अपीलान्ट के पिता हमेरा के मध्य कर दिया था। तभी से उक्त भूमि पर 1/2 हिस्से से कब्जे काश्त चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 अपने पिता तुलसीराम की मृत्यु के बाद काबिज हो काश्त करते आ रहे है। हमारे मौरूस लाला की मृत्यु के बाद वर्णित भूमि उनके दोनो पुत्रों के नाम पर विरासत से दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता तुलसीराम द्वारा मिलीभगत कर अपनेआप को अकेला वारिस घोषित कर नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा दिया। गलत खुले नामान्तकरण का ज्ञान मुझ अपीलान्ट को दो माह पूर्व हुआ। जब भूमि दलाल मेरे हिस्से की भूमि खरीदने आये और मुझे कहा कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 उक्त जमीन बेच रहा है। मेने कहा कि यह जमीन तो मेरी है। मेरे द्वारा तत्काल जमाबन्दी व नामान्तकरण की नकल निकलवायी व सेटलमेन्ट से जमाबन्दी की नकल निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि तुलसीराम द्वारा मिलीभगत कर नामान्तकरण सं. 101 से सम्पूर्ण विरासत की भूमि अपने नाम पर अंकित करवा ली। मै मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब होने से मै उनकी सेवा सुश्रुषा में रही। दिनांक 04.09.10 को उनका स्वर्गवास हो गया जिससे यह अपील आज प्रस्तुत कर रही हूँ । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 101 को निरस्त फरमाया जाकर 1/2 हिस्से की भूमि मेरे नाम पर दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि दलालो द्वारा मौके पर आकर भूमि खरीदने संबंधी बात करने पर मुझे सर्वप्रथम नामान्तकरण सं. 101 की जानकारी हुई। उसके पश्चात अभिलेख की नकले प्राप्त की। इसी दरमियान मेरे पति का स्वर्गवास हो जाने से यह अपील आज पेश की गई है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को न्यायहित में अवधि में शुमार फरमाया जाना फरमावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद नोटिस तामील होने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 13.01.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि लाला जी के दो पुत्र नहीं होकर तीन पुत्र थे। इनके नाम तुलसीराम, हमेरा व भोला थे। लालाजी के मृत्यु के 15 वर्ष पहले ही हमेरा व भोला की मृत्यु हो गई। यह दोनो शादीशुदा थे। लेकिन इनके कोई लडका–लडकी नहीं होने से जाति रिवाज के अनुसार इनकी पत्नी नाते चली गई। दोनो के नाते जाने के बाद करीब 7–8 साल बाद लालाजी का स्वर्गवास हो गया। अपीलान्ट जो हमारे हमेरा की पुत्री बता रही है जबकि वह हमेरा की पुत्री नही होकर उसकी माता वरदी के नाते जाने के बाद नातायत पति से पैदा हुई है। जिस कारण लालाजी की जायदाद में कोई अधिकार नहीं बनता है। तुलसीराम व हमेरा के बीच कभी भी जमीन का बटवाडा नहीं हुआ। कुलिया जमीन पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा है। अपीलान्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। सन् 1977 में नामान्तकरण खुला । उस समय लालाजी का एकमात्र वारिस तुलसीराम होने से उसके नाम पर ही खुला। नाही भूमि को कन्नीराम द्वारा बेचने की बात कही। किये गये कथन कयासों के आधार पर है। इस संक्षिप्त प्रक्रिया में पक्षकारों के अधिकारों का फैसला नहीं होता है। प्रोसेडिंग के माध्यम से हमारा नाम नहीं हटाया जा सकता। 34 वर्ष के अतिविलम्ब के बाद में यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण को परेशान करना चाहा जा रहा है। वर्तमान में जमीनों के भाव बहुत बढ गये है। गांव में भूमि दलाल घूमघुम कर लोगों को बहकाकर तथा उनको प्रलोभन देकर के मुकदमे बाजी के लिए उकसा रहे है। उसी प्रलोभन में आकर अपीलान्ट ने यह गलत अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा वीरधोलिया के आराजी नं. 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589, 1660 व 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा पेतृक भूमि होकर सम्वत 2030 भू प्रबध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान राज्य की जमाबंदी में हमारे मौरूस लाला पिता भज्जा के नाम पर अंकित है। उन्होने अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवाडा अपने दोनो पुत्रों तुलसीराम व मुझ अपीलान्ट के पिता हमेरा के मध्य कर दिया था। तभी से उक्त भूमि पर 1/2 हिस्से से कब्जे काश्त चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 अपने पिता तुलसीराम की मृत्यु के बाद काबिज हो काश्त करते आ रहे है। हमारे मौरूस लाला की मृत्यु के बाद वर्णित भूमि उनके दोनो पुत्रों के नाम पर विरासत से दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता तुलसीराम द्वारा मिलीभगत कर अपनेआप को अकेला वारिस घोषित कर नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा दिया। जबकि हमेरा की अपीलान्ट जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि की 1/2 हक हिस्सेदारी होकर विरासत के आधार पर 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु लाला की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्टगण के पिता तुलसीराम द्वारा लाला का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हुए अपीलीय नामान्तकरण विरासत का खुलवाकर दर्ज करवा लिया गया। सम्पूर्ण पैतृक भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा दिया गया। अतः विरासत के आधार पर खोले गये अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर नियमानुसार 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अपने कथनो की ताईद में 1996 आरबीटी पेज 293, 2002 आरआरटी पेज 966, 2010(2) आरआरटी पेज 1324 के दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की और जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने बिना किसी ठोस आधार के 34 वर्षो के विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। जिसका अधिकार अपीलान्ट को नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की

कोई अनुमति भी प्राप्त नही की है। अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जो सजरा अपील मेमो में प्रस्तुत किया गया है। वह पूर्णरूप से गलत है। वास्तविकता यह है कि लाला पिता भज्जा के तीन पुत्र क्रमश तुलसीराम, हमेरा व भोला थे। जिनमें से भोला व हमेरा की मृत्यु लाला के जीवनकाल में ही लाऔलाद हो गई। दोनो भाईयों के कोई संतान नहीं होने से जाति रिवाज से इनकी पत्नियां ने नाता विवाह कर लिया। हमेराजी की पत्नी श्रीमती वरदीबाई ने ग्राम बारोडी तहसील मावली निवासी उदा जी गुर्जर से नाता कर लिया। जहा पर उदाजी गुर्जर एवं वरदीबाई के नुत्फे से अपीलान्ट श्रीमती डाकूबाई व उसके अन्य दो भाई हिरा गुर्जर, डालू गुर्जर एवं बहिन लाली का जन्म हुआ। अपीलान्ट उदाजी गुर्जर की सबसे बडी संतान है। अपीलान्ट का जन्म रेस्पोडेन्ट के परिवार में न होकर अपने नातायत पिता उदा जी गुर्जर की संतान है। प्रस्तुत अपील में विधि एवं तथ्यों के कई प्रश्न अन्तर्वलित है। और ये सभी प्रश्न केवल नियमित वाद में निर्णित किये जा सकते है। अपीलान्ट द्वारा 34 वर्ष के लम्बे समय के अन्तराल के बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। तत्कालिन सरपंच श्रीमती रेखा पत्नी हरिश गुर्जर ने द्वेषतावश गलत सजरा प्रमाण पत्र जारी किया है। जो कतई स्वीकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील आप न्यायालय में पेश करने के बाद जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तब रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध राजस्व न्यायालय मावली में नियमित वाद दायर किया जो प्र.सं. 240/15 एवं प्रार्थनापत्र लम्बित है। जिसमें सभी पक्षकारान के हक अधिकारों का निस्तारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद के लम्बित रहते अपील का निस्तारण नहीं हो सकता है। अपने कथनों की ताईद में आरआरजे 2008 पेज 406, आरआरटी 2009–10 पेज 99, आरआरटी 2012(2) पेज 741, आरआरटी 2019(1) पेज 392, आरआरटी2019(1) पेज 648, आरआरटी 2010(2) पेज 1222, आरआरटी 2010(1) पेज 311, आरआरटी 2010(1) पेज 625,

आरआरटी 2009(2) पेज 816, आरआरटी 2013(2) पेज 1054, आरआरटी 2017(2) पेज 1348 के दृष्टांत प्रस्तुत किये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि संलग्न सजरा ग्राम पंचायत वीरधोलिया का दिनांक 21.10.09 अनुसार अपीलान्ट हमेरा की जायन्दा पुत्री है। जो हमेरा की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उस हिसाब से लाला पिता भज्जा गुर्जर के विरासती भूमि में हमेरा की पुत्री होने के नाते विरासत के आधार पर 1/2 हिस्से की उत्तराधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुत्रों के अनुरूप पुत्रियों को भी अधिकार प्रदत्त किये हुए है। स्वर्गीय लाला पिता भज्जा के दो पुत्र क्रमशः तुलसीराम व हमेरा है। हमेरा की पुत्री अपीलान्ट है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के नामान्तकरण सं. 101 दिनांक 27.10.77 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मावली को इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया के आराजी नं. 847, 1544, 1565 से 1567, 1569, 1570, 1583, 1584, 1587 से 1589, 1660 व 1661 कुल किता 14 रकबा 65 बीघा 1 बिस्वा की भूमि के मूल खातेदार लाला पिता भज्जा गुर्जर होकर उनका स्वर्गवास हो चुका है। लाला पिता भज्जा गुर्जर के विधिक वारिसानों को नये सिरे से सुना जाकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर लाला पिता भज्जा गुर्जर के विधिक वारिसानों की नये सिरे से जांच करते हुए विरासत का नामान्तकरण नये सिरे से पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 15:04:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: